भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

2980 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित दीवानी एवं आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या की समीक्षा की है ;

(ख) क्या न्यायिक अधिकारियों की कमी, न्यायालयीय अवसंरचना की अपर्याप्तता एवं डिजिटल सुविधाओं के अभाव के कारण न्याय प्रदायगी में विलंब हुआ है ;

(ग) न्यायिक अवसंरचना और मामला प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय से क्या-क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) क्या बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : तारीख 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, संपूर्ण बिहार में जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 37,81,445 **मामले (5,47,036 सिविल तथा 32,34,409 दांडिक) लंबित हैं ।**

(ख) से (घ) : जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार तथा संबद्ध उच्च न्यायालयों का है । सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के

अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती तथा नियुक्ति से संबंधित नियमों तथा विनियमों की विरचना करती है । वर्तमान में, बिहार में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 2,030 है । पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में वहां 174 न्यायालय हॉल की कमी है । तथापि, न्यायालय हॉल तथा आवासीय क्वाटरों की उपलब्धता कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या से अधिक है, जो कि स्वीकृत संख्या से 374 अन्यून है ।

जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित होता है । पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना सुविधाओं की मॉनीटरी हेतु राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एसजेआईए) समिति गठित की गई है । समिति समय-समय पर राज्य सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करती है । तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों के संवर्द्धन के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के अंतर्गत पांच घटक आते हैं अर्थात् न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय यूनिट, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर तथा डिजिटल कंप्यूटर कक्ष । उक्त स्कीम के अधीन, स्कीम के आरंभ से बिहार राज्य को केंद्रीय निधि के रुप में 663.06 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं । चालू वित्तीय वर्ष (वि.व. 2026-27) में, बिहार के लिए 50.88 करोड़ रुपये का अंतरिम आंबटन किया गया है जिसमें से 25.44 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है ।

भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के समन्वयन में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । परियोजना के अधीन, बिहार में 2204 न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य पहल की गई हैं, जिसके अंतर्गत मामलों की ई-फाइलिंग, न्यायालय फीस/जुर्माने का ई-संदाय, बेहतर मामला प्रबंधन के लिए मामला सूचना प्रणाली, समन/न्यायालय नोटिस के लिए इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया प्रणाली की राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग, 1373 स्थापनों (न्यायालय,कारावास, अस्पताल सहित) में विडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा, न्यायालय अभिलेख के 6.79 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण, न्यायिक कारबार की प्रभावी मॉनीटरी के लिए न्यायाधीशों की सहायता हेतु जस्टआईएस एप्प, नागरिकों के लिए 105 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना तथा 54 न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा सुविधा का संस्थापन भी है । और, मुवक्किल राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर न्यायालयों के सभी मामलों के आदेशों/निर्णयों तथा अन्य ब्यौरों तक अभिगम कर सकते हैं ।

सरकार, मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबन को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र

प्रदान करने के लिए अनेकों पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की समय रहते नियुक्ति अंतर्वलित है, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्द्धन, नई दंड विधियां 2023 का अधिनियमन तथा कार्यान्वयन और त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना भी है । तथापि, न्यायालय के मामलों का निपटान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद, भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, अन्वेषण की गुणवत्ता, साक्ष्यों की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह, मुवक्किल भी हैं ।

पटना उच्च न्यायालय ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 वर्षों, 20-30 वर्षों तथा 10-20 वर्षों से ऊपर के लंबित सभी पुराने मामलों के निपटान के लिए विरचित कार्य योजना को जिला न्यायपालिका में बकाया की कमी हेतु (एपीएएआर-डीजे) कार्यान्वित किया है।
